



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24022026-270434
CG-DL-E-24022026-270434

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 924]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 24, 2026/फाल्गुन 5, 1947

No. 924]

NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 24, 2026/PHALGUNA 5, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 फरवरी, 2026

का.आ. 968(अ).— केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 80) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के, सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग की अधिसूचना संख्या का.आ. 6081 (अ) तारीख. 29/12/2025 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड-3, उपखण्ड (ii), में प्रकाशित की गई थी, द्वारा महाराष्ट्र राज्य के पुणे जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 60 SPUR के कि.मी. 2+928 से कि.मी. 63+398 भीमाशंकर – तळेघर – वाडा – राजगुरुनगर रोड (चौड़ा करने /चार लेन को बनाने आदि) अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3 क की उपधारा (3)के अधीन का.आ. 6081 (अ) तारीख.29/12/2025 को “ बिझनेस स्टैंडर्ड (अंग्रेजी) ”और “ जनप्रवास (मराठी) ” तारीख 09/01/2026 में प्रकाशित किया गया था ;

जबकी सक्षम प्राधिकारी को धारा ३-ग के तहत दायर आपत्ती प्राप्त हुई है, जिस पर विचार किया गया है और उसका उचित रूप से निपटान किया गया;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा ३ घ की उपधारा (१) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा ३ घ की उपधारा (१) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा ३ घ की उपधारा (२) के अनुसरण में, यह घोषणा करता है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि, सभी विल्लंगमों से मुक्त हो कर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के पुणे जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या ६० SPUR के कि.मी. २+९२८ से कि.मी. ६३+३७८ भीमाशंकर – तळेघर – वाडा – राजगुरुनगर रोड खंड के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

राज्य का नाम: महाराष्ट्र			जिले का नाम: पुणे		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/ हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: आंबेगाव					
गांव का नाम: तेरूंगण					
1	४१	निजी	शुष्क	0.003	भागुजी ठकुजी चपटे , मारुती भागुजी लोहकरे , ज्ञानेश्वर लक्ष्मण बुरसे 41
2	४२	निजी	शुष्क	0.0036	चिंधू हैबत इष्टे , बाळू हैबत इष्टे, काळू हैबत इष्टे, 42
3	४३	निजी	शुष्क	0.2789	शंकर यमा गवारी , गंगाराम चंदर गवारी चिंधू हैबत इष्टे , बाळू हैबत इष्टे, काळू हैबत इष्टे, दुन्दाबाई बबन आढळ , दुन्दाबाई भिमाजी गवारी 43
4	४४	निजी	शुष्क	0.066	बाळू हैबत इष्टे, चिंधू हैबत इष्टे , काळू हैबत इष्टे 44

5	४८	निजी	शुष्क	0.53	मारुती पांडुरंग खामकर , तुकाराम शंकर खामकर 48
Total				0.8815	

[फा. सं. NH-15017/24/2024-P&M/3D]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 24th February, 2026

S.O. 968(E).— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number **S.O. 6081(E) dated 29/12/2025** published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for **building (widening / two lane with paved shoulder/ four laning etc.) maintenance, management and operation of National Highway No.-60 SPUR on the stretch of land from Km. 2+928 to Km. 63+378 Bhimashankar –Taleghar-Wada- Rajgurunagar Road in the District of Pune in the state of Maharashtra.**

And whereas the substance of the said notification **S.O. 6081(E) dated 29/12/2025** has been published in **“Business Standard (English)”“Janprawas (Marathi)”both are Dated 09/1/2026** under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections filed under section 3-C, Considered and settled the same appropriately;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structure falling National Highway No.- 60 SPUR on the stretch of land from Km. 2+928 to Km. 63+378 Bhimashankar –Taleghar-Wada- Rajgurunagar Road in the District of Pune in the state of Maharashtra.

State: MAHARASHTRA			District: PUNE		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Hectares)	Name of Land Owner/Interested Person
1	2	3	4	5	6
Taluk: Ambegaon					
Village: Terungan					
1	41	Private	Dry	0.003	Bhaguji Thakuji Chapte, Maruti Bhaguji Lohakare, Dnyaneshwar Laxman Burse 41
2	42	Private	Dry	0.0036	Chindhu Haibat Ishte, Balu Haibat Ishte, Kalu Haibat Ishte 42
3	43	Private	Dry	0.2789	Shankar Yama Gavari, Gangaram Chandar Gawari, Chindhu Haibat Ishte, Balu Haibat Ishte, Kalu Haibat Ishte, Dundabai Baban Adhal, Dundabai Bhimaji Gawari 43
4	44	Private	Dry	0.066	Balu Haibat Ishte, Chindhu Haibat Ishte, Kalu Haibat Ishte 44
5	48	Private	Dry	0.53	Maruti Pandurang Khamkar Tukaram Shankar Khamkar 48
Total				0.8815	

[F. No. NH-15017/24/2024-P&M/3D]

SHAIKH AMINKHAN, Director